रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082025-265211
CG-DL-E-05082025-265211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3486] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 2025/श्रावण 13, 1947
No. 3486] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 2025/SHRAVANA 13, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2025

का.आ .3572(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **मौजा शोभा रामपुर के लिए 2269 (ई) दिनांक 14/05/2025,** उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) और स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी हैं।

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया हैं।

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता हैं।

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इंडिया) लिमिटेड में निहित होगा।

जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धामरा पाइपलाइन और स्पर पाईप लाईन प्रोजेक्ट, 3 बी सेक्सन, पश्चिम बंगाल

अनुसूची

राज्य : पश्चिम बंगाल

थ्जला	ब्लॉक	मौजा	थाना न.	नक्शा	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
						हेक्टेअर–आर–वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6	7		
पूर्व मेदिनीपुर	सुताहाटा–2	शोभारामपुर	147	एल आर	1312	00	07	76

[फा. सं. एल-14014/245/2022-जीपी-II(ई-45383)]
रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2025

S.O. 3572(E).—Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide 2269(E) Dated 14/05/2025 for Mouza Sovarampur issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) hereinafter referred to as the said Act, Government of India declared its intension to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline, in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And, whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of section (6) of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

JAGADISHPUR-HALDIA-BOKARO-DHAMRA & SPUR PIPELINE PROJECT, 3B SECTION, WEST BENGAL

SCHEDULE

State: West Bengal

District	Block	Mauza	J.L. No.	Map	Survey No.	Area		
						Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6	7		
Purba Medinipur	Sutahata-2	Sovarampur	147	LR	1312	00	07	76

[F. No. L-14014-245-2022- GP–II (E-45383)]
RAMJI LAL MEENA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.05 14:37:29 +05'30'